है कि--

**"किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य प्रकार से उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जायेगा ।"**

इस अनुच्छेद में प्रदत्त संरक्षण नागरिक और गैर नागरिक व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है । यह अधिकार भी पूर्ण अधिकार नहीं है । अतः राज्य सरकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किये जाने पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगा सकती है ।

**गोविन्द बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1976 SC 1979** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि यह माना जाये कि अनुच्छेद 21 के स्वतन्त्रता का अधिकार शामिल हैं तो भी यह अधिकार पूर्ण नहीं माना जाता ।

**फ्रेसिस मौरेली बनाम भारत संघ AIR 1981 SC 796** में यह कहा गया है कि प्राण के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है जो मानव जीवन के पूर्ण बनाने के लिये आवश्यक है ।

**सतवन्त सिंह बनाम असिस्टेण्ट पासपोर्ट आफीसर, नई दिल्ली, AIR 1967 SC 1836** में कहा गया कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार में संरक्षण या घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता भी प्राप्त है ।

**पृथ्वी सिंह बनाम भारत राज्य, AIR SC 1413**-- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सैनिक न्यायालयों द्वारा अपराधी के परीक्षण के लिये विहित प्रक्रिया में अनुच्छेद 21 की प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक नहीं होता है ।

**हुस्नआरा खातून बनाम बिहार राज्य (AIR 1979 SC 1369)** पुलिस द्वारा अभियुक्त को हथकड़ी लगाने का अधिकार भी उसकी दैहिक स्वतन्त्रता पर निर्बन्दन है। किन्तु यदि यह विश्वास का कारण है कि अभियुक्त व्यक्ति भाग जायेगा और खतरा होने की सम्भावना है तो हथकड़ी लगाना संवैधानिक है ।

**बीना सेठ बनाम बिहार राज्य AIR 1983 SC 339** में कहा गया कि अधिकारियों की उपेक्षा के कारण निर्धारित समय से अधिक समय तक कैदियों का जेल में पड़े रहना असंवैधानिक है जो उनकी दैहिक स्वतन्त्रता पर रोक लगाता है ।

महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण में निर्णित किया गया कि एक चरित्रहीन महिला को भी एकान्तता का अधिकार है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

### दैहिक स्वतन्त्रता पर आपात-उद्घोषणा का प्रभाव

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 में यह उपबन्धित किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके अथवा आपात उद्घोषणा के पश्चात् दैहिक स्वतन्त्रता और घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ।

जबकि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकारों को निर्बन्धित कर दिया जाता है तो युक्तियुक्त कारण होने पर उस स्वतन्त्रता के विरुद्ध कोई माँग नहीं की जा सकती है । किन्तु 44 वाँ संविधान-संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से जब यह उपबन्धित कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 में प्राप्त दैहित स्वतन्त्रता के अधिकार को निलम्बित नहीं किया जा सकता है । प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता में अधिकार में एक मात्र स्रोत है और इनके विरोध पर कोई भी अयुक्तियुक्त प्रतिबन्ध असंवैधानिक होगा ।

## संवैधानिक उपचारों के अधिकार
## (Rights to Constitutional Remedies)

**संवैधानिक उपचार**-- भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं और इन मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिये उनके संरक्षण की सुविधा भी प्रदान की गयी है । किसी व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व तबी संभव है जबकि उनको संरक्षण दिया जाये । यदि यह कहा जाये कि संवैधानिक उपचार मूल अधिकारों की रक्षा का स्रोत है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । मूल अधिकार नागरिकों को उनके विकास के लिये प्रदान किये गये हैं ।

**मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु संवैधानिक उपचार**-- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 30 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये किसी पीड़ित व्यक्ति को संवैधानिक उपचारों का उपबन्ध करते हैं ।

**(1) अनुच्छेद 13 के अनुसार**-- यह अनुच्छेद ऐसी संविधान पूर्ण विधियों, संविधानोत्तर विधियों को शून्य घोषित करता है जो मूल अधिकारों से असंगत होती है या उन अधिकारों को छीनती है या कम करती है । यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को निहित करता है । यदि राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो अनु0 13 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय या संबन्धित राज्य का उच्च न्यायालय, अनु0 32 या

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

अनु0 226 के अन्तर्गत, पीड़ित पक्ष के याचिका द्वारा आवेदन करने पर, अपनी न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसी विधि की वैधता और संवैधानिकता की जाँच कर सकता है और उसे अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकता है ।

(2) अनुच्छेद 32(1) संविधान के भाग के अनुसार प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तित करने के अधिकार की गारण्टी प्रदान करता है ।

(3) अनुच्छेद 32(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये निर्देश या आदेश प्रदान करे जिसके अन्तर्गत निम्न लेख सम्मिलित हैं ।

(i) बन्दी प्रत्यक्षीकरण

(ii) परमादेश

(iii) प्रतिषेध

(iv) अधिकार पृच्छा

(v) उत्प्रेषण

(4) अनुच्छेद 32(3) के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार की स्थापना सेवाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्ड (2) के अधीन प्रयोग की जाने वाली सब अथवा किन्हीं शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार दे सकेगी।

(5) अनुच्छेद 32(4) के अनसार इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अनु0 द्वारा गारण्टी किये गये अधिकारों को निलम्बित न किया जायेगा ।

अनु0 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार और उत्प्रेषण की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है क्योंकि उच्चतम न्यायालय उपरोक्त रिटों को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही जारी कर सकता है ।

JSB LAW College

## रिटें (Writs)

रिट का शाब्दिक अर्थ न्यायिक आदेश है । संविधान प्रारमभ होने के पूर्व केवल कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई उच्च न्यायालयों में रिट निकालने की अधिकारिता प्राप्त थी। अनु0 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को तथा अनु0 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है ।

Scanned with CamScanner

रिटें पाँच प्रकार की होती हैं--

**1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण--**

हैलिमस कारपस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है-- बन्दी को न्यायालय के सामने हाजिर करो । इस रिट का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से बन्दी बनाये गये व्यक्ति को शीघ्र उपचार प्रदान करना और यह एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है, जो किसी व्यक्ति को निरुद्ध किये हुए रखते हैं । यदि न्यायालय को यह पता है कि बन्दी के निरोध का कोई विधिक औचित्य नहीं है, तो वह तुरन्त निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ देने का आदेश देता है ।

प्रारम्भ में, इस रिट के अन्तर्गत बन्दी को न्यायालय के सामने हाजिर करना एक आवश्यक शर्त मानी जाती थी । किन्तु अब **कालू सान्याल बनाम मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, ए0आई0आर0 1974 एस0सी0 510** में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार बन्दी को न्यायालय के सामने हाजिर करना आवश्यक नहीं रहा । इसलिये बन्दी को न्यायालय के सामने हाजिर करना आवश्यक नहीं है ।

**(2) परमादेश--**

परमादेश का अर्थ है-- **"हम आदेश देते हैं इस प्रकार परमादेश उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या लोक पदाधिकारी को उनके विधिक या लोक कर्त्तव्य या किसी संविधि के अधीन आरोपित कर्त्तव्य को पूरा करने का आदेश दिया जाता है ।"**

परमादेश रिट के लिये वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसे ऐसा करने का विधिक अधिकार प्राप्त हो, साथ ही उस अधिकार का प्रवर्तनीय होना भी आवश्यक है।

रिट कब जारी नहीं किया जायेगा-- न्यायिक निर्णयों के अनुसार निम्न मामलों में यह रिट जारी नहीं किया जायेगा--

1. जब सम्बन्धित अधिकारी का कर्त्तव्य केवल उसके स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय पर हो ।
2. निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पर कोई लोक कर्त्तव्य आरोपित नहीं होता है ।
3. व्यक्तियों के बीच संविदात्मक कर्त्तव्यों के पालन के लिये यह रिट जारी नहीं किया जा सकता है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

**3. उत्प्रेरण--**

उत्प्रेरण का अर्थ रद्द करना है । उत्प्रेरण लेख से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक कार्य करने वाले निकायों द्वारा दिये गये निर्णयों की वैधता की जाँच कर, उन्हें रद्द किया जा सकता है।

**रिट जारी करने का अधिकार**-- यह रिट निम्न आधारों पर जारी की जा सकती है--

1. जहाँ कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिया है ।
2. जहाँ कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से अधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुये दिये हैं ।
3. जहाँ कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कम करते हुए दिया है ।
4. जहाँ कि निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है ।
5. जहाँ कि निर्णय में कोई वैधानिक गलती है ।

**4. प्रतिषेध--**

यह रिट मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिये जारी किया जाता है । इस प्रकार यह एक न्यायिक रिट है जो एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ को इसलिये जारी किया जाता है कि जब अधीनस्थ न्यायालय ऐसे क्षेत्राधिकार का जबरदस्ती प्रयोग न करें, जो उसमें कानून द्वारा विहित नहीं है ।

**उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध में अन्तर--**

प्रतिषेध रिट किसी कार्यवाही के चालू रहने के दौरान जारी की जाती है, जिससे कि उस कार्यवाही की रोका जा सके तथा उत्प्रेषण रिट कार्यवाही के समाप्त हो जाने पर अन्तिम निर्णय को रद्द करने के लिये जारी की जाती है ।

**5. अधिकार पृच्छा--**

इसका अर्थ है-- आपका क्या अधिकार है । यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है । जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारित लिये हैं । इस रिट द्वारा यह पूछा जाता है कि किस प्राधिकार से वह पद ग्रहण किये हैं । इसको धारण करने के लिये पद ग्रहण किये हैं ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

इसको धारण करने के लिये निम्न शर्तें हैं--

1. विवादग्रस्त पद सार्वजनिक पद हो, तथा

2. जिस व्यक्ति ने उसे धारण किया हो, वह उसे धारण करने का वैध अधिकार न रखता हो ।

## राज्य की नीति के निदेशक तत्व

## (Directive Principles)

संविधान के भाग 4 (अनु0 36 से 51) में निर्देशक तत्व समाहित है । सर्वप्रथम 1934 में आयरलैण्ड के संविधान में सामाजिक नीति के निदेशक तत्व नाम दिया गया है। संविधान के भाग- 4 में उल्लिखित राज्य के तत्व नाम दिया गया है और आयरलैण्ड के संविधान से लिये गये हैं । तत्वों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित है जिनका पालन करना राज्य का कर्त्तव्य है ।

**नीति-निदेशक तत्वों का वर्गीकरण**

1. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनायेगा--
   (i) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे ।
   (ii) राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा ।

2. **राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व**

अनुच्छेद 39 इस शीर्षक के अधीन न्याय प्राप्त करने के लिये, राज्य पर निम्न बातों को प्राप्त करने का कर्त्तव्य आरोपित किये हैं--

(1) स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविता को प्राप्त करने का अधिकार है ।

(2) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाये

(3) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसे धन व उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो ।

(4) पुरुषों और स्त्रियों केस्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

(5) पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो ।

**3. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी तत्व--**

**(अनु0 39 क)** राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिये आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्य के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाये ।

**हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य (ए0आई0आर0 1979 एस0सी0 1377)** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 29क के अन्तर्गत मूल अधिकार है ।

**सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995)**-- के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार संविधान के अनुच्छेद- 44 पर ऐसा दृष्टिकोंण अपनाये जिसमें सभी नागरिकों के लिये समान सिविल संहिता बनाने का निर्देश दिया गया है और यह भी कहा है कि ऐसा करना पीडिता व्यक्ति की रक्षा तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की अभिव्यक्ति दोनों दृष्टि से आवश्यक है ।

**नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों में सम्बन्ध**-- नीति निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों में मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं । नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है । अनु0 37 यह कहता है कि भाग- 4 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा । किन्तु फिर भी इनमें अभिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा । न्यायालय सरकार को नीति निदेशक तत्वों को कार्यान्वित कराने के लिये कोई आदेश भी नहीं दे सकते ।

**केरल एजुकेशनल बिल, 1953 SC** के मामले में उच्चतम न्ययालय ने यह मत व्यक्त किया कि नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते हैं ।

**केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 SC 1461**

संविधान का 25 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 39(ख) और (ग) में दिये गये ।

42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 में यह उपबन्ध किया गया कि संविधान के भाग- 4 के सभी नीति निदेशक तत्व भाग- 3 में प्रत्याभूत मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगे ।

ISBLAW College

Scanned with CamScanner

**मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ (AIR 1980 SC 1780)** के मामलों में उपयुक्त संशोधन अधिनियम असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है और यह घोषित किया कि अनु0 31 (ग) में दिया गया उपयुक्त संशोधन संविधान के आधारभूत ढाँचे को नष्ट करता है ।

**मूल कर्त्तव्य-**

मूल कर्त्तव्य 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है ।

मूल कर्त्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है ।

मूल कर्त्तव्यों की अवहेलना दण्डनीय नहीं है ।

## राष्ट्रपति--

अनुच्छेद 52 यह उपबन्धित करता है कि --

भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।

अनुच्छेद 53 यह उपबन्धित करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के उपबन्धों के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा ।

अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें--

(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और

(ख) राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य होंगे ।

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये अर्हताएं--

1. वह भारत का नागरिक हो
2. वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो ।
3. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ।
4. वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों के किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो ।

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया--

अनु0 61 में यह उपबन्धित है कि जब राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप हो तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है । लेकिन राष्ट्रपति पर कोई महाभियोग तभी चलाया जा सकता है, जब--

(1) प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में हो,

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

(2) जो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के वाद प्रस्तुत किया गया हो

(3) जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावित करने की आशा प्रकट की हो

(4) उसके बाद उस संकल्प को सदन की कुल सदस्यों के दो तुहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिये ।

**राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति**

राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग उस समय करता है--

(i) जब संसद के दोनों सदन सत्र नहीं होते हैं, एवं

(ii) ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिनमें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है ।

इसे विधि निर्माण की आपात शक्ति कहा जाता है । अध्यादेश अनु0 13(3) के अन्तर्गत विधि है । संसद निर्मित विधि और अध्यादेश में अन्तर कालावति का है ।

**डी0सी0बाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) 33 एस0सी0378**

क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति-- (अनु0- 72)

1) राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा उसका प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने को अथवा दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की

(क) उन सभी मामलों में, जिसमें दण्ड या दण्डादेश सेना न्यायालय ने दिया है ।

(ख) उन सभी मामलों में, जिनमें दण्ड या दण्डादेश ऐसे विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया है जिस तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है

(ग) उन सभी मामलों में जिसमें दण्डादेश, मृत्यु दण्डादेश है ।

**राष्ट्रपति को सलाह देने के लिये मंत्रिपरिषद--**

अनु0 74 के उपखण्ड (1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान, प्रधानमन्त्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।

42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 74 खण्ड (1) में संशोधन करके यह उपबन्धित किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिये बाध्य है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

लेकिन 44 वाँ संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में संशोधन करके राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रीपरिषद की किसी सलाह को उसे पुनः विचार के लिये लौटा सकता है । किन्तु ऐसे पुनर्विचार के बाद पुनः जो सलाह मंत्रिपरिषद देगी उसके लिये राष्ट्रपति बाध्य होंगे ।

**राज्यपाल** (The Governor)

प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है उसे राज्याध्यक्ष कहा जाता है । संघ में जो स्थान राष्ट्रपति होता है लेकिन कभी-कभी दो या अधिक राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है (अनु0 153)

राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है (अनु0 154)

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । इससे स्पष्ट होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति न तो निर्वाचन से होती है और न मतदान से । राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है ।

राज्यपाल केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित होता है इसीलिये राज्यपाल को केन्द्र का एजेण्ट कहा जाने लगा है ।

राज्यपाल मृत्युदण्ड को छोड़कर अन्य सभी मामलों में सिद्ध दोष व्यक्ति को क्षमा या दण्ड का लघुकरण आदि कर सकता है ।

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति में अन्तर केवल यह है कि राष्ट्रपति मृत्युदण्डादेश को क्षमा करने की भी शक्ति रखता है जबकि राज्यपाल नहीं ।

राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में न्यायालय निम्न परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता है--

(i) जब राज्यपाल द्वारा विवेक अथवा मस्तिष्क का प्रयोग न किया गया हो,

(ii) राज्यपाल का आदेश दुर्भावनापूर्ण हो,

(iii) राज्यपाल का आदेश बाहरी परिस्थितियों / दबावों से प्रभावित रहा हो (सतपाल बनाम हरियाणा, AIR 2000 SC 1702)

राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिये मंत्रीपरिषद (अनु0 163) राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमन्त्री होता है । राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार भी कार्य कर सकता है । राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार केवल उन्हीं विषयों में कार्य कर सकता है जिनमें संविधान द्वारा अभिव्यक्ति प्रावधान किया गया है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

संविधान की अनुसूची 6 के अनुच्छेद 9(2) तथा 18(3) अनु0 371A(i), (b), 2d तथा 2(b) 2(f) एवं अनु0 239 के अधीन राज्यपाल को अपने स्वविवेक का प्रयोग करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है ।

राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति राज्य में राष्ट्रपति शासन करने की सिफारिश केन्द्र सरकार को प्रेषित कर सकता है ।

## उच्चतम न्यायालय

अनुच्छेद 124 भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है । यह अनु0 एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश के पदों की व्यवस्था करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रत्येक न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु धारण नहीं कर लेता है ।

उच्चतम न्यायालय के तथा राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश में परामर्श करने के पश्चात् जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा । **एस0सी0 एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, (1933, SC 44)**

**उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिये योग्यतायें--**

1. वह भारत का नागरिक हो
2. वह कम से कम पाँच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का या दो या अधिक न्यायालय का लगातार न्यायाधीश रह चुका हो, या
3. किसी उच्च न्यायालय या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम दस वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या
4. राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रसिद्ध पारंगत विधिवेत्ता रहा हो

**न्यायाधीश को उसके पद से हटाये जाने के लिये विधिक प्रक्रिया--**

अनु0 129 खण्ड 4 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाये जाने के लिये संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेद, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दे दिया है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

अनु0 124 के खण्ड 6 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद ग्रहण से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

अनुच्छेद 124 के खण्ड 7 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है । भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवाचन या कार्य नहीं करेगा ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner